

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3913
जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

कावेरी नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण

3913. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

सरकार द्वारा प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने और कावेरी नदी के किनारे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में सहायता करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

देश में नदियां शहरों/कस्बों और शहरी स्थानीय निकायों से अशोधित और आंशिक रूप से शोधित घरेलू सीवेज के निस्तारण के कारण और उनसे संबंधित आवाह क्षेत्रों में औद्योगिक बहिस्त्राव, विलयन के अभाव, अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग और प्रदूषण के अन्य नॉन पॉइंट स्रोतों के कारण प्रदूषित हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने इन चुनौतियों को बढ़ा दिया है। नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत प्रक्रिया है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों का प्राथमिक दायित्व है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में प्रदूषित जल के गिरने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्रावों का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें।

यह मंत्रालय नमामि गंगे कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम और देश में अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से गंगा बेसिन में नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता रहा है।

एनआरसीपी के अंतर्गत, कावेरी नदी के लिए, तमिलनाडु के 9 शहरों अर्थात् भिवानी, इरोड, करूर, कुमारपलायम, कुंभकोणम, मयिलादुथुराई, पल्लिपालयम, तिरुचिरापल्ली और त्रिची में और कर्नाटक के 4 शहरों अर्थात् के.आर. नगर, कोल्लेगल, नंजनगुड और श्रीरंगपटना में अपरिष्कृत सीवेज के अवरोधन और डायवर्जन के कार्यों के साथ, सीवेज सिस्टम का विनिर्माण कार्य, किफायती स्वच्छता

सुविधाएं, इम्प्रूवड वुड शवदाहगृह, नदी तट विकास आदि के साथ 168.93 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा समय-समय पर नदी के प्रदूषित नदी खंडों से संबंधित आदेश जारी किए जाते हैं। मूल आवेदन संख्या 673/2018 में, जिसमें एनजीटी ने निर्देश दिया था कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2018 में चिन्हित प्रदूषित नदी खंडों के कार्याकल्प के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। उपर्युक्त निदेश के अनुसार, उक्त कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय स्तर पर की जानी है।

इन आदेशों के अनुपालन में राज्यों ने अपनी कार्य योजना तैयार करवा कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवा ली है। निगरानी के लिए, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन किया गया है। अब तक सीएमसी की 19 बैठकें हो चुकी हैं।
